अध्याय–II

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - II
पंचायती राज विभाग

2.1 अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय

42 आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण तीन से आठ वर्षों की अवधि के लिए अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड का निष्फल व्यय हुआ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 61 (सी) और (डी) यह निर्धारित करती है कि पंचायत समिति (पं.स.) के कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के अंतर्गत सभी कार्यों के निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण करेंगे और विकासात्मक कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् (बजट और लेखा) नियम, 1964 के नियम 90 और 113 (बी) में परिकल्पना की गई है कि कोई भी चालू योजना अधूरी अवस्था में नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी काम के लिए दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले अग्रिम का लेखा नहीं दिया गया हो और शेष अव्ययित अग्रिम कार्यकारी एजेंसियों द्वारा तुरंत वापस किया जाना चाहिए।

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 2011) के अनुसार, 13वीं वित्त आयोग (13वीं वि.आ.) की अनुशंसा के तहत अनुदानों का उपयोग आंगनबाडी केंद्रों के निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना था। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का उद्देश्य छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भोजन, विद्यालय–पूर्व शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान करना था।

सात पंचायतों[29] में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2014, सितंबर 2017 और फरवरी 2019 में अद्यतन) से पता चला कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों[30] को विभागीय रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकर्त्ता बनाया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य आदेश जारी होने की तिथि से तीन से छः माह के भीतर कार्य पूर्ण करना था। वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान 13वीं वि.आ. अनुदान शीर्ष के तहत कुल ₹ 9.15 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 137 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के कार्य लिए गए थे और उनमें से 42 आंगनबाडी केन्द्रों (31 प्रतिशत) का निर्माण कार्य जनवरी 2021 तक अपूर्ण एवं परित्यक्त था।

उपरोक्त 42 कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यकारी अभिकर्ताओं को कुल ₹ 1.62 करोड़ अग्रिम (मई 2012 से मार्च 2017) के रूप में दो से दस किश्तों में भुगतान किया गया था लेकिन इन कार्यों पर केवल ₹ 1.27 करोड़ खर्च किए गए थे और ₹ 0.35 करोड़ की राशि (अग्रिम का 22 प्रतिशत) पिछले तीन से आठ वर्षों तक उनके पास असमयोजित पड़ी थी ***परिशिष्ट–2.1***)।

---

[29] *बरहिया, बिहटा, डोभी, गुरुआ, मनेर, पकड़ीबरावाँ और रामगढ़ चौक*

[30] *पंचायत सचिव/तकनीकी कर्मी/जन सेवक/प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी*

योजना संख्या 02/12–13 (पं0सं0, बिहटा) अनुमानित लागत : ₹ 6.06 लाख व्ययः ₹ 3.09 लाख सं.भौ.स. की तिथिः 23/01/2021	योजना संख्या 04/14–15 (पं0स0, बिहटा) अनुमानित लागत : ₹ 7.48 लाख व्ययः ₹ 3.37 लाख सं.भौ.स. की तिथि : 25/01/2021	योजना संख्या 17/14–15 (पं0स0, मनेर) अनुमानित लागत : ₹ 7.48 लाख व्ययः ₹ 3.94 लाख सं.भौ.स. की तिथि : 29/01/2021

(सं.भौ.स.ः संयुक्त भौतिक सत्यापन)

कार्यपालक पदाधिकारियों ने कार्यों को पूरा न करने के कारणों को मुख्य रूप से निधियों की कमी और कार्यकारी अभिकर्त्ताओं के स्थानांतरण/मृत्यु को जिम्मेदार ठहराया था। हाँलाकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पं.स. के कार्यपालक पदाधिकारी ने पीछे भुगतान किए गए अग्रिम को समायोजित किए बिना कार्यकारी अभिकर्त्ताओं को दूसरे व बाद के अग्रिमों का भुगतान किया और कार्यों के निष्पादन की निगरानी नहीं की। साथ ही, कार्यपालक पदाधिकारियों ने संबंधित कार्यकारी अभिकर्त्ताओं को कुछ स्मार जारी करने के अलावा कार्यों को पूरा करने और कार्यकारी एजेंटों के पास पड़ी बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए। इसके अलावा, चार पंचायतों[31] में निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण शुरू किया गया था।

इस प्रकार, अनुचित आयोजना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और कार्य की प्रभावी निगरानी की कमी के कारण, सात पं.स. के 42 कार्य तीन से आठ वर्षों तक अधूरे रहे जिसके कारण ₹ 1.27 करोड़ का निष्फल व्यय के अलावा ₹ 35.36 लाख का बकाया अग्रिम जनवरी 2021 तक कार्यकारी अभिकर्त्ताओं के पास पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

मामले की सूचना विभाग को दी गयी (25 मार्च 2021) तथा 1 सितम्बर 2021 को स्मार जारी किया गया, परन्तु मई 2022 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

[31] *बरहिया, गुरूआ, मनेर एवं पकड़ीबरावाँ*